दिनांक 14.08.2019 को पूर्वा० 11:30 बजे विशेष सचिव–सह–अध्यक्ष शिकायत निवारण समिति, श्रम संसाधन विभाग की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में संपन्न शिकायत निवारण समिति की बैठक की कार्यवाही–

उपस्थिति–

1. श्री के० सेंथिल कुमार	– विशेष सचिव	– अध्यक्ष
2. श्री विवेक कुमार	– संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण	– सदस्य
3. श्री संजय कुमार सिन्हा	– उप निदेशक, नियोजन	
4. डॉ0 राम बिनय प्रसाद	– उप निदेशक, चिकित्सा सेवायें	
5. श्री अशोक कुमार	– प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशिक्षण पक्ष)	
6. श्री शिवजी सिंह	– प्रशाखा पदाधिकारी–06 (सरकार पक्ष)	
7. श्री (डॉ०) विनायक पदमाकर	– प्रशाखा पदाधिकारी–01 (सरकार पक्ष)	
8. श्री देवेश कुमार	– श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी (सरकार पक्ष)	

कार्यवाही

समिति के समक्ष रक्षित मामलों के कार्यान्वयन की अद्यतन स्थिति की जानकारी उपस्थित पदाधिकारियों/प्रतिनिधियों द्वारा निम्न रूप से दी गयी :–

प्रशिक्षण पक्ष

प्रशिक्षण पक्ष में लंबित मामलों की अनुपालन स्थिति निम्न है–

आवेदक का नाम	विषय/अद्यतन स्थिति
1. श्री रामानंद सिंह, सेवानिवृत्त मुख्य अनुदेशक, औ0 प्र0 संस्थान, कटिहार	अंकेक्षण आपत्ति सं0–125/2009–10 के संबंध में– प्रशिक्षण पक्ष के पत्रांक–1671 दिनांक 13.08.2019 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कटिहार द्वारा सूचित किया गया है कि महालेखाकार अंकेक्षण आपत्ति सं0 125/2009–10 निदेशालय समीक्षोपरान्त दिनांक 19.11.2018 को महालेखाकार कार्यालय को हस्तगत करा दिया गया था। वर्तमान में महालेखाकार कार्यालय द्वारा बताया गया है कि उक्त आपत्ति के निष्पादन हेतु संचिका उप महालेखाकार के समक्ष उपस्थापित है। उप महालेखाकार का स्थानान्तरण हो जाने के कारण संचिका में कार्रवाई लम्बित है। उक्त के आलोक में प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कटिहार के वेतनादि निकासी पर लगी रोक को निदेशालय पत्रांक 814 दिनांक 03.04.2019 द्वारा अनुमति प्रदान की गयी है। प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशिक्षण पक्ष को निदेश दिया गया कि प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कटिहार को पत्र द्वारा निदेशित किया जाए कि वे महालेखाकार कार्यालय से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखें एवं मामले के निष्पादन की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करें।
2. श्री एस0एम0अन्जूम हसन, सेवानिवृत उच्च वर्गीय लिपिक, जिला नियोजनालय, मुंगेर	गत् दिनांक 01.01.1996 का वेतन निर्धारण एवं प्रथम ए0सी0पी0 लाभ की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में– प्रशिक्षण पक्ष के पत्रांक–1671 दिनांक 13.08.2019 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के आवेदन को आवश्यक कार्यार्थ स्थापना पटल को उपलब्ध करा दिया गया है। अनुपालन प्रतिवेदन अप्राप्त है। प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशिक्षण पक्ष को निदेश दिया गया कि मामले के निष्पादन की दिशा में त्वरित कार्रवाई की जाए।

3. श्री राजकुमार प्रसाद, सेवानिवृत कार्यालय परिचारी, आई0टी0आई0, बक्सर	<u>प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ए0सी0पी0 का लाभ देने के संबंध में–</u> आवेदक के अभ्यावेदन को अग्रेतर कार्रवाई हेतु विभागीय पत्रांक 1851 दिनांक 05.08.2019 द्वारा प्रशिक्षण पक्ष को भेजा गया है। प्रशिक्षण पक्ष के प्रतिवेदन में इस मामले का कोई उल्लेख नहीं है। प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशिक्षण को निदेश दिया गया कि आवेदक के अभ्यावेदन के आलोक में अद्यतन प्रतिवेदन समिति को अगली बैठक के पूर्व उपलब्ध कराया जाए।

नियोजन पक्ष

नियोजन पक्ष मे लंबित मामलों की अनुपालन की स्थिति निम्नवत हैं–

1. श्री परम प्रकाश नंद, सहायक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन)	**<u>दिनांक 04.04.2018 से दिनांक 19.04.2018 तक कुल 16 दिनों के उपार्जित अवकाश की अब तक स्वीकृति न किए जाने के संबंध में।</u>** नियोजन पक्ष के पत्रांक शून्य दिनांक 14.09.2019 द्वारा प्रतिवेदित किया गया एवं उपस्थित उप निदेशक, नियोजन द्वारा बताया गया कि निदेशालय आदेश संख्या 99/2019 सह पठित ज्ञापांक 639 दिनांक 10.07.2019 द्वारा आवेदक के दिनांक 04.04.2018 से 19.04.2018 तक के कुल 16 दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति दी जा चुकी है। कार्यालय आदेश की प्रति संलग्न है। अतः मामले को निष्पादित किया जा सकता है। नियोजन पक्ष से प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में मामले को निष्पादित मानते हुए सूची से विलोपित किये जाने का निर्णय समिति द्वारा लिया गया।
2. श्री परम प्रकाश नंद, सहायक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन)	**<u>दिनांक 27.04.2017 से 21.06.2017 तक चिकित्सा में रहने के कारण लंबित अवकाश की स्वीकृति एवं भुगतान के संबंध में।</u>** नियोजन पक्ष के पत्रांक शून्य दिनांक 14.09.2019 द्वारा प्रतिवेदित किया गया एवं उपस्थित उप निदेशक, नियोजन द्वारा बताया गया कि आवेदक को निन्दन की सजा दी गयी है। साथ ही इनके दिनांक 24.07.2017 से 21.06.2017 तक के चिकित्सकीय अवकाश/अनाधिकृत उपस्थिति अवधि को निदेशालय आदेश सं0 98/2019 सह पठित ज्ञापांक 638 दिनांक 10.07.2019 द्वारा असाधारण अवकाश के रुप में स्वीकृति प्रदान की गयी है। कार्यालय आदेश की प्रति संलग्न है। अतः मामले को निष्पादित किया जा सकता है। नियोजन पक्ष से प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में मामले को निष्पादित मानते हुए सूची से विलोपित किये जाने का निर्णय समिति द्वारा लिया गया।

3. श्री परम प्रकाश नंद, सहायक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन)	वर्ष 2018 के वार्षिक वेतन की स्वीकृति के संबंध में। नियोजन पक्ष के पत्रांक शून्य दिनांक 14.09.2019 द्वारा प्रतिवेदित किया गया एवं उपस्थित उप निदेशक, नियोजन द्वारा बताया गया कि आवेदक के आवेदन के आलोक में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। उप निदेशक, नियोजन को निदेश दिया गया कि मामले के निष्पादन की दिशा में त्वरित कार्रवाई की जाए।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

कर्मचारी राज्य बीमा योजना में लंबित मामलों की अनुपाल स्थित निम्न है:-

1. श्री कन्हैया लाल मिश्रा, लिपिक, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, दीघा, पटना।	दिनांक 30.07.2009 को पचास वर्ष उम्र हो जाने के उपरान्त विभागीय परीक्षा की उत्तीर्णता से विमुक्त करते हुए ए0सी0पी0 / एम0ए0सी0पी0 का लाभ प्रदान करने के संबंध में। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के पत्रांक 600 दिनांक 06.08.2019 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रभारी बीमा चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, दीघा, पटना के पत्रांक 228 दिनांक 24.06.2019 के द्वारा श्री कन्हैया लाल मिश्रा, लिपिक का चरित्र अभ्युक्ति एवं अन्य वांछित अभिलेख उपलब्ध कराया गया है। श्री मिश्रा के द्वारा लेखा परीक्षा में शामिल होने संबंधि अभिलेख की जाँच हेतु निदेशालय पत्रांक 565 दिनांक 25.07.2019 के द्वारा उप सचिव, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना को पूर्ण विवरणी के साथ पत्र भेजा गया है। राजस्व पर्षद द्वारा अभिलेख की सम्पुष्टि के पश्चात् अभ्यावेदन से संबंधित मामले में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। उप निदेशक, चिकित्सा सेवायें को निदेश दिया गया कि राजस्व पर्षद को स्मारित कर वांछित अभिलेख प्राप्त की जाए एवं मामले का शीघ्र निष्पादन कराया जाए।

सरकार पक्ष

प्रशाखा–01

सरकार पक्ष, प्रशाखा–01 मे लंबित मामलों की अनुपालन की स्थिति निम्नवत हैं–

2. श्री नागेश्वर यादव, महासचिव, बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा संघ, बिहार, पटना।	बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा नियमावली–2018 को अधिसूचित कराने के संबंध में। उपस्थित प्रशाखा पदाधिकारी–01 द्वारा बताया गया कि नियमावली हेतु गठित समिति का रिपोर्ट प्राप्त हुआ है, जिसके आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। प्रशाखा पदाधिकारी–01 को निदेश दिया गया कि शीघ्र मामले का निष्पादन कराया जाए।

प्रशाखा–06

सरकार पक्ष, प्रशाखा–06 मे लंबित मामलों की अनुपालन की स्थिति निम्नवत हैं–

1. श्री ओम प्रकाश, सेवानिवृत संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण	**सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–11253/2003 में दिनांक 06.11.2017 को पारित न्यायादेश के अनुपालन के संबंध में।** उपस्थित प्रशाखा पदाधिकारी–06 द्वारा बताया गया कि आवेदक के अभ्यावेदन के आलोक में मन्तव्य हेतु संचिका विधि विभाग को पृष्ठांकित की गयी है। प्रशाखा पदाधिकारी–06 को निदेश दिया गया कि नियमानुसार कार्रवाई करते हुए शीघ्र मामले का निष्पादन कराया जाए।

बैठक सधन्यवाद, समाप्त हुई।

(विवेक कुमार)
संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण
सदस्य

16/8/19
(के०सेंथिल कुमार)
विशेष सचिव
अध्यक्ष

ज्ञापांकः–3/श्रम विधि (शि0नि0)–01/2019 श्र0 सं0 2016 पटना, दिनांक 22/8/19

प्रतिलिपिः– श्रमायुक्त, बिहार/निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण (दो प्रतियों में)/निदेशक चिकित्सा सेवायें, कर्म0रा0बीमा योजना/संयुक्त श्रमायुक्त/संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण/उप निदेशक, नियोजन (मु०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/8/19
विशेष सचिव–सह–अध्यक्ष

ज्ञापांकः–3/श्रम विधि (शि0नि0)–01/2019 श्र0 सं0 2016 पटना, दिनांक 22/8/19

प्रतिलिपिः– उप निदेशक, चिकित्सा सेवायें/श्री अशोक कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशिक्षण पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर/श्रम संसाधन विभाग को बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

16/8/19
विशेष सचिव–सह–अध्यक्ष

ज्ञापांकः–3/श्रम विधि (शि0नि0)–01/2019 श्र0 सं0 2016 पटना, दिनांक 22/8/19

प्रतिलिपिः– सचिव, विधि विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

16/8/19
विशेष सचिव–सह–अध्यक्ष